कार्यालय नगर परिषद्, पाली (राज.)

-: मृत मवेशी उठाने एवं हड्डी/चमड़ा की खुली बोली की निलामी शर्तें :-

1. नगर परिषद्, पाली सीमा में मृत मवेशियों को उठाने के लिए वर्ष 2017–18 दिनांक 31.03.2018..... अवधि के लिये निलामी ठेका दिया जायेगा। जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा। हड्डी/चमड़ा ठेका की निलामी खुली बोली द्वारा हड्डी/चमड़ा ठेका एक ही व्यक्ति/फर्म के नाम उच्चतम बोली आने पर स्वीकार की जावेगी।
2. निलामी बोली में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को 3000/– रू. की अमानत राशि परिषद् के निलामी दल/अधिकारी/कर्मचारी को धरोहर के रूप में सुपुर्द करनी होगी। जिसकी कोई रसीद जारी नही की जावेगी। केवल उक्त राशि निलामी कार्यवाही सम्पन्न होने तक निलामी दल के पास अमानत के रूप में रहेगी। सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओ को उनकी यह धरोहर राशि तुरन्त पुनः लौटा दी जायेगी। तथा सफल बोलीदाता की उक्त अमानत राशि उसकी अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् बिना ब्याज के लौटाई जायेगी। तब तक उक्त राशि उसकी अमानत के तौर पर परिषद् कोष में जमा रहेगी। जिसकी निलामी की 1/4 राशि के साथ रसीद काटी जावेगी।
3. मृत मवेशी को उठाने एवं हड्डी/चमड़ा ठेका की निलामी की अंतिम बोली चाहे कितनी भी आये उस निलामी को स्थगित/स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त/सभापति नगर परिषद्, पाली के पास सुरक्षित रहेगा।
4. मृत मवेशी को उठाने एवं हड्डी/चमड़ा ठेका के लिए सार्वजनिक निलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था/फर्म में पूर्व की हड्डी ठेका संबंधी परिषद् की कोई राशि बकाया होने पर उसको निलामी बोली में भाग नही लेने दिया जायेगा। प्रत्येक बोलीदाता से इस बाबत् पहले नगर परिषद् के अन्यकर अनुभाग से नौडयु सर्टिफिकेट प्राप्त कर अपनी धरोहर राशि के साथ ही निलामी अधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। उसके अभाव में उसको निलामी बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
5. जिस व्यक्ति/संस्था/फर्म के पक्ष में ठेका का कॉन्ट्रेक्ट होगा उसको निलामी की कार्यवाही पूर्ण होते ही 1/4 राशि उसी समय जमा करानी होगी। तथा शेष 3/4 राशि कार्यालय दिवस के 7 दिन की अवधि के अन्दर–अन्दर जमा करानी होगी। इस अवधि में यदि अंतिम बोलीदाता द्वारा पूर्ण राशि जमा नही कराई गई तो उसका ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा। तथा उसके द्वारा जमा कराई गई 1/4 राशि भी फोर फीट कर ली जावेगी व नया ठेके की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी।
6. सफल बोलीदाता को अनुबंध हेतु. 500/–रू. का नोनज्युडियल का स्टाम्प प्रस्तुत कर अनुबंध कराना होगा। अनुबंध नही कराने की अवधि में मृत मवेशियों एवं हड्डी/चमड़ा उठाने की अनुमति परिषद् द्वारा नही दी जायेगी।
7. ठेकेदार के पक्ष में ठेका होने पर एवं राशि जमा कराते ही स्वतः ही उसको ठेके का अधिकार प्राप्त हो जावेगा। उसको अलग से कोई अधिकार प्रत्र नही दिया जावेगा। परन्तु ठेकेदार को पहले परिषद् से अनुबंध करना अनिवार्य होगा। ठेका होने के पश्चात् नगर परिषद् सीमा में अन्य व्यक्तियों अथवा पूर्व ठेकेदार द्वारा ठेका होने पर मृत मवेशी एवं उनके हड्डी/चमड़ा उठाकर ले जाने पर संबंधित के विरूद्ध स्वयं सक्षम कार्यवाही करने के लिए वर्तमान संवेदक अधिकृत होगा। इसके लिए परिषद् से संवेदक अपेक्षा नही करेगा। हालांकि ऐसे अवैध मृत मवेशी एवं हड्डी/चमड़ाहटाने का परिषद् को भी स्वतंत्र अधिकार होगा।
8. यह ठेका परिषद् के सम्पूर्ण क्षेत्र में मृत जैसे – बैल, गाय, भैंस, पाडा, बकरा, बकरी इत्यादि मृत पशुओं को उठाना होगा।
9. मृत पशुओं को उठाने हेतु ठेकेदार स्वयं को मजदूर, छकड़ी, औजार व अन्य समस्त सामान अपने खर्चे से खरीदना होगा।

10. मृत पशुओं के हड्डी/चमड़ा परिषद् क्षेत्र के समस्त आबादी बस्ती के करीबन दो किलोमीटर दूर ले जाकर इकट्ठा करना होगा। शहर में किसी भी जगह पर हड्डी/चमड़ा इकट्ठा नही करेगा। एवं मृत पशुओं का चमड़ा भी वही उतारेगा। अगर इसका उल्लंघन करने पर जमा शुदा राशि जब्त कर ठेकेदार का ठेका निरस्त करने का अधिकार सभापति/आयुक्त को होगा।

11. मृत पशुओ की परिषद् क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान तालाब व लोड़िया तालाब एवं किसी धार्मिक स्थान पर या रहवासी क्षेत्र तथा नाडा, नाडी या अन्य जगहों पर मृत्यु होने पर मृत मवेशी को उठाकर शहर की आबादी बस्ती से दो किलोमीटर दूर ले जाकर चमड़ा उतारना होगा। ऐसा नही करने पर नगर परिषद्, पाली ठेकेदार के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही व पुलिस कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगी।

12. परिषद् क्षेत्र में सभी प्रकार के मृत पुशओं की इतला मिलते ही ठेकेदार को उसी समय मृत मवेशी का उठाना होगा तथा हर समय एक व्यक्ति को परिषद कार्यालय में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय में रखना होगा ताकि सूचना उपलब्ध होने पर तुरन्त प्रभाव कार्यवाही की जा सके साथ ही ठेकेदार को अपना कार्यालय परिषद सीमा में खोलना होगा तथा उस स्थान पर एक टेलीफोन स्वयं के खर्चे पर रखना होगा।

13. ठेकेदार या उसके अधिनस्थ मजदूर द्वारा किसी भी व्यक्ति से मृत मवेशी को उठाने के लिये का किसी प्रकार से पैसे की मांग नही करेगा,ऐसा करते हुये पाये गये तो या शिकायत प्राप्त हुई तो उसी समय ठेका की जमा राशि जब्त करके ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

14. आम जनता को समस्त जानकारी हेतु ठेकेदार को परिषद द्वारा बताये गये सार्वजनिक स्थानों पर अपना नाम,पता व टेलीफोन नम्बर लिखना होगा। आम जनता से शिकायत प्राप्त होने पर अथवा परिषद के निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम बार 250/–रूपये, द्वितीय बार में 500/–रूपयें तृतीय बार में शिकायत होने पर ठेका निरस्त कर समस्त राशि जब्त की जा सकती है।

15. उक्त जुर्माना राशि जमा नही कराने पर उसकी धरोहर राशि में से जुर्माना राशि परिषद को काटने का अधिकार होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

16. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नही होने पर एवं अन्य किसी के द्वारा उचित शिकायत प्राप्त होने पर व ठेके की शर्तो का उल्लघन करने पर आयुक्त/सभापति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें जमा राशि जब्त करना व ठेका निरस्त करना भी शामिल होगा।

17. सफल बोलीदाता द्वारा मूल रूप से इन शर्तो को आधार बनाकर अनुबंध किया जावेगा। तथा अनुबंध में निलामी शर्तो को कम करने अथवा अन्य कोई शर्त को बढाने का अधिकार नगर परिषद्, पाली को होगा।

18. शर्तो सबंन्धी किसी प्रकार का विवाद होने पर उसको परिभाषित नगर परिषद् द्वारा किया जायेगा जिसको मानना संवेदक के लिए बाध्यकारी होगा।

19. किसी तरह के विवाद होने पर न्याय क्षेत्र पाली होगा।

सभापति
नगर परिषद्, पाली

आयुक्त
नगर परिषद्, पाली